न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2007 / 10 दर्ज दिनांक : 17.03.2007

1. श्रीचन्द पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. भंवरी पुत्री स्व. किशनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. चन्द्रमणी पुत्री स्व. किशनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. रूकमणी पुत्री स्व. किशनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. भूरी देवी पत्नी स्व. मगनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. राजेन्द्र पुत्र स्व. मगनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. गजानन्द पुत्र स्व. मगनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. रणजीत पुत्र स्व. मगनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. राकेश पुत्र स्व. मगनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. विजेन्द्र उर्फ ब्रजलाल पुत्र स्व. मगनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. विवेक पुत्र नेतानन्द जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता

वादी श्री नरेन्द्र सिहाग
प्रतिवादी श्री भागीरथ सिद्ध,
श्री जगदीश कस्वां,
श्री रघुनन्दन सोनी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

–:निर्णय प्रारम्भिक डिक्रीः–

निर्णय तिथिः– 05.03.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 वास्ते घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा, तकासमा किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 एक ही खानदान के सदस्य है तथा स्व. सुरजाराम के वारिसान है जो कि ग्राम भामासी तहसील चूरू के स्थाई निवासी है।
2. वादी एवं प्रतिवादीगण का वंशवृक्ष नीचे लिखे अनुसार पेश है :–

इस प्रकार से वादी के पूर्वज सुरजाराम के दो लड़के किशनाराम एवं मगनाराम थे जो दोनों ही फौत हो चुके है। किशनाराम के वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है तथा मगनाराम के वारिसान 5 ता 10 है एवं मगनाराम के पुत्र धर्मपाल की मृत्यु हो चुकी है जो अविवाहित ही फोत हो गया था।

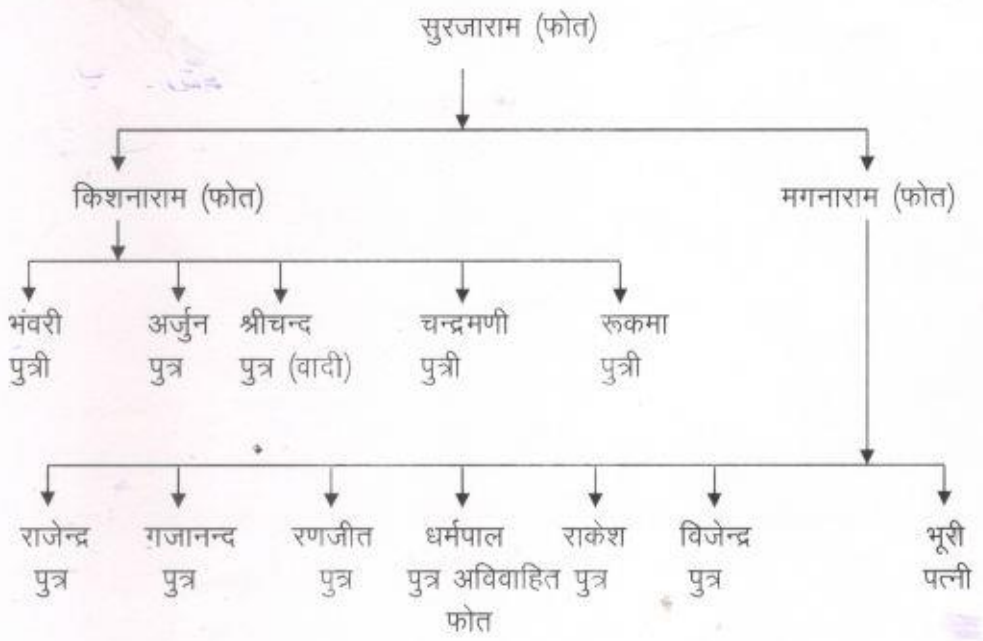

3. वादी के परिवार में स्व. सुरजाराम के समय ही कृषि भूमि खसरा संख्या 38, 89, 234, 237, 238 तादादी क्रमशः 8 बीघा 11 बिस्वा, 2 बीघा, 3 बीघा 8 बिस्वा, 10 बीघा 10 बिस्वा, 10 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 5 कुल तादादी 35 बीघा 5 बिस्वा वाके रोही भामासी तहसील चूरू में चली आ रही है उक्त कृषि भूमि का स्व. सुरजाराम के जीवनकाल से ही वादी के परिवार की पुश्तैनी चली आ [illegible] सुरजाराम के स्वर्गवास होने के पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि उनके दोनों लड़के [illegible] एवं मगनाराम के बराबर–बराबर 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से [illegible] मगनाराम के फौत हो जाने के कारण उक्त कृषि [illegible] किशनाराम एवं मगनाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त चला आ रहा है।

4. मद संख्या 3 में अंकित कृषि भूमियां वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर मालिक काबिज खातेदार संयुक्त रूप से चली आ रही है आज तक उक्त कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है जो कि संयुक्त मालिकाना हक की सम्पूर्ण खातेदारी के बतोर मालिक अविभाजित स्थिति में चली आ रही है।

5. वादगत कृषि भूमि जो कि दावा में मद संख्या 3 में अंकित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 का 1/2 हिस्सा है यानि कि कुल तादादी 35 बीघा 5 बिस्वा में से 17 बीघा $12^{1}/_{2}$ बिस्वा कृषि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 किशनाराम के वारिसान के हक एवं हिस्से में आई है एवं इसी कृषि भूमि में से 35 बीघा 5 बिस्वा में से 17 बीघा $12^{1}/_{2}$ बिस्वा कृषि भूमि मगनाराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 5 ता 10 के हक में एवं हिस्से आई है एवं उपरोक्त हिस्सों के मुताबिक ही राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि अविभाजित चली आ रही है जो कि जमाबन्दी वर्तमान सम्वत् 2062 से 2065 तक से साबित है।

6. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 21.02.07 को बमुकाम चूरू में खेत खसरा संख्या 38 तादादी 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 89 तादादी 2 बीघा, खसरा संख्या 234 तादादी 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 237 तादादी 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 238 तादादी 10 बीघा 16 बिस्वा वाके रोही भामासी में से 1/10 हिस्सा का बैनामा प्रतिवादी संख्या विवेक पुत्र नेतानन्द जाट निवासी भामासी के नाम से विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है जो कि बिना विभाजन करवाये जाने के कारण कानूनन वैध नहीं है उपरोक्त वादगत कृषि भूमियों का विभाजन पक्षकारानों द्वारा कभी नहीं करवाया गया जो वर्तमान जमाबन्दी 2062–2065 के रिकॉर्ड से साबित है। उक्त कृषि भूमियों का विधिनुसार विभाजन नहीं करवाया गया है और जब तक विभाजन नहीं करवाया जाता है तब तक किसी भी पक्षकारान को संयुक्त कृषि भूमि को विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा हर खातेदार का हर भाग पर कानूनन कब्जा होता है जो कि विधि की सिद्धान्त हो इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 बैनामा दिनांक 21.02.2007 को करवाये जाने का कोई कानूनी हक नहीं था।

7. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 21.02.07 को करवाये बैनामें का ज्ञान वादी को तब हुआ जब प्रतिवादी संख्या 11 विवेक पुत्र नेतानन्द जाट निवासी भामासी तह. चूरू ने दिनांक 28.02.07 को कहा कि आज के बाद उक्त ख.नं. की कृषि भूमि की तरफ मत जाना मैंने क्रय कर ली है तब चूरू आकर वादी ने बैनामे की नकल प्राप्त की तब वादी को पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादगत कृषि भूमि में से बिना विभाजन करवाये 1/10 हिस्सा का बैनामा विवेक के विक्रय कर दिया है जो कि कानून वैध नहीं था तब वादी ने अन्य प्रतिवादीयों को दिनांक 01.03.07 को खाता विभाजन करवाने के लिये कहा तो अन्य प्रतिवादीगण की खाता विभाजन के लिये दिनांक 01.03.07 को बमुकाम भामासी में स्पष्ट इन्कार हो गये इसिलये वादी के पास इस दावा दायरी के सिवाय कोई अनुतोष नहीं रह जाने के कारण यह दावा न्यायालय के समक्ष पेश करना कानूनन आवश्यक हो गया इसलिये दावा पेश किया जा रहा है [illegible] खाते विभाजन कर अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

8. वादी की वादगत कृषि भूमि [illegible] के कारण तथा खाता अविभाजित होने के कारण तथा [illegible] कब्जा काश्त एवं खातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

होने से वादगत कृषि भूमि पेटे दावा दायरी का अधिकार हासिल है एवं दिनांक 21.02.07 को प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 विवेक को अविभाजित कृषि भूमि का बैनामा कराये जाने के कारण तथा खाता विभाजन करवाने से इन्कारी दिनांक 01.03.07 के कारण वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर प्रतिवादी तकमीलन पक्षकार बनाया गया है इनके खिलाफ कोई प्रभावी रिलिफ नहीं चाही गई है तथा इसलिये धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया गया है तथा दावा आवश्यक प्रकृति का होने कारण बिना नोटिस दिये ही यह दावा पेश किया जा रहा है।

10. पक्षकारान ग्राम भामासी तहसील व जिला चूरू में स्थाई निवासी है जो कि अदालतवाला के क्षेत्राधिकार में निवास करते हैं एवं अदालतवाला के क्षेत्राधिकार में ही वादगत कृषि भूमि स्थित होने से इस दावा का श्रवणाधिकार का होने से यह दावा अन्दर मियाद उचित कोर्ट फीस पर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अतः दावा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) घोषित किया जावे कि खेत खसरा संख्या 38 तादादी 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 89 तादादी 2 बीघा, खसरा संख्या 234 तादादी 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 237 तादादी 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 238 तादादी 10 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 5 तादादी 35 बीघा 5 बिस्वा वाके रोही भामासी वादी का एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 का 1/2 हिस्सा की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का है तथा इसी के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे।

(ख) घोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 के हक में पंजीकृत कराया गया बैनामा दिनांक 21.02.07 वादी के हको के मुकाबले अनाधिकारपूर्ण बेअसर शून्य नल एण्ड वोईड है जिसे वोईड घोषित किया जावे।

(ग) जरिये डिक्री कृषि भूमि विभाजन वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की उपमद क में अंकित कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्डस विभाजन कराया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम करवाया जावे।

(घ) जरिये डिक्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 11 को वर्णित किया जावे कि वो उपमद क में वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश न करें तथा वादी को बेदखल न करें तथा न कोई मदाखलत बेजा करें न अन्य फैल एवं तर्क फैल करें जिससे वादी के हक हकूको पर विपरित असल पड़ता हो।

(ङ) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(च) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे वो भी वादी को दिलवाया जावे।

11. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश कस्वां ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 प[illegible] उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय [illegible] की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बार–बार अवसर दिये ज[illegible] नहीं किया इसलिए जवाब दावा बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 ता [illegible] से अधिवक्ता श्री भागीरथ सिद्ध ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद दनेवा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5, 7 से 10 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसमें दावा की मद सं. 1 व 2 के तथ्य सही है इसलिए आपत्ति नहीं है। दावा की मद सं. 3 में वादगतगत कृषि भूमि स्व. सुरजाराम के समय की रोही गांव भामासी तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आने बाबत एवं यह भूमि सुरजाराम के परिवार की पुश्तैनी भूमि बाबत तथा सुरजाराम के स्वर्गवास होने के पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि उनके दोनों लड़के किशनाराम व मगनाराम के बहिस्सा बराबर बराबर रिकॉर्ड में अंकित होने बाबत आपति नहीं है शेष तथ्य सही नहीं है इसलिये स्वीकार नहीं है क्योंकि वादी के पिता किशनाराम ने वादगत कुल 35.05 बीघा भूमि में से अपने हिस्से की 1/2 हिस्सा भूमि में से भाई बंटवारा के अनुसार अपने हिस्से में आई हुई भूमि में से ख. न. 38 तादादी 8.11 बीघा अपने जीवनकाल में इस भूमि की उस समय प्रचलित भाव से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर जरिये इकरारनामा दिनांक 08.09.1994 को हम प्रतिवादीगण सं. 5 से 10 एवं उस समय जीवित धर्मपाल के नाम से इकरारनामा लिखवाकर नोटेरी पब्लिब चूरू श्री अब्दुल मजीद निजामी एडवोकेट से तस्दीक करवाकर दो मौजिज साक्षीगण के हस्ताक्षरा एवं अंगूठे करवाकर इस भूमि का कब्जा हम प्रतिवादीगण को सौंप दिया था तब से लेकर यह 8. 11 बीघा भूमि पर हम प्रतिवादीगण बतौर मालिक काबिज काश्तकार चले आ रहे है वादी के पिता किशनाराम के फौत हो जाने के कारण किशनाराम की शेष रही भूमि उनके नाम से जरिये विरासतन के फौत हो जाने के कारण किशनाराम की शेष रही भूमि उनके नाम से जरिये विरासतन इन्तकाल दर्ज एवं विरासतन इन्तकाल से इस हम प्रतिवादीगण के दर्ज एवं अंकित चली आ रही है तथा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी संयुक्त रूप से चली आ रही है परन्तु व्यवहारिक बंटवारे के अनुसार पक्षकारान अलग—अलग ही काश्त करते हैं ओर आपसी सहमति से विभाजन क्र्र रखा है। मद सं. 4 दावा में वादगत कृषि भूमिया वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 10 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी संयुक्त चली आने बाबत आपति नहीं है तथा विधिवत विभाजन भी नहीं हुआ है परन्तु पक्षकारान ने आपसी सहमति से अपनी—अपनी सुविधा के अनुसार अपने—अपने हिस्से की भूमि का व्यवहारिक बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अलग—अलग है। मद नं. 5 दावा में तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है सही नहीं होने से स्वीकार नहीं है क्योंकि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 का वादगत कुल कृषि भूमि 35.05 बीघा रोही मौजा भामासी में अब 1/2 हिस्सा शेष नहीं है क्योंकि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के पूर्वज किशनाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भामासी ने कुल भूमि 35.05 बीघा जिसमें उनका 1/2 हिस्सा था उसमें से ख.न. 38 तादादी 8.11 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 08.09.1997 को मुनासिफ प्रतिफल हम प्रतिवादीगण से प्राप्त कर विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था इसलिये अब वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के पास कुल भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि शेष नहीं रहती है क्योंकि 17.12 1/2 बिश्वा भूमि में से 8.11 बीघा कम करने पर उनके हिस्से में केवल 9.1 1/2 बीघा भूमि शेष रहती है। मद नं. 6 दावा के तथ्य हम प्रतिवादीगण को जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है क्योंकि कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पूर्व स्व. किशनाराम ने अपने [illegible] में ही दिनांक 08.09.1994 को ही जरिये इकरारनामा हम प्रतिवादीगण [illegible] विक्रय कर कब्जा हम प्रतिवादीगण को सौंप दिया [illegible] प्रतिवादीगण के कब्जा में चली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

आ रही है इसलिये ख. न. 38 तादादी 8.11 बीघा भूमि को अथवा इस भूमि के किसी हिस्से को प्रतिवादी सं. 1 विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिये प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा दिनांक 21.02.2007 को यदि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इस ख.न. 38 तादादी 8.11 बीघा भूमि का कोई विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है तो वह विक्रय पत्र हम प्रतिवादीगण के खिलाफ पूर्णतया निष्प्रभावी है। मद नं. 7 दावा में लिखे गये तथ्य हम प्रतिवादीगण को जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं अस्वीकार की जाती है वादी ने दिनांक 01.03.2007 को वादगत भूमि का खाता विभाजन करवाने के लिये गांव भामासी में नहीं कहा ओर न हम प्रतिवादीगण ने खाता विभाजन करवाने से वादी को कभी इन्कार किया वादी ने अपने दावा का आधार तैयार करने के लिये उक्त तथ्य मनगढन्त एवं झुठ लिखे है। मद नं. 8 के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है सही नहीं है इसलिए अस्वीकार की जाती है मद नं. 9 व 10 दावा में लिखे तथ्य कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। अन्तिम कद बिना नम्बरी मय उपमद क से च स्वीकार नहीं अस्वीकार की जाती है क्योंकि वादी को कुल कृषि भूमि 35.05 बीघा में 1/2 हिस्सा भूमि का खाता विभजान करवाने का अधिकार नहीं है क्योंकि इस कुल कृषि भूमि में से ख.न. 38 तादादी 8.11 बीघा भूमि वादी के पिता स्व. किशनाराम ने जरिये इकरारनामा दिनांक 08.09.1997 को हम प्रतिवादीगण से प्रतिफल प्राप्त विक्रय हमारे कब्जे में सौंप दी थी जिस पर हम प्रतिवादीगण बतौर मालिक बदस्तुर मालिक है इसलिये इस भूमि बाबत वादी को किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करनेका अधिकार नहीं है इसलिये वादी का यह दावा मय खर्चा खारिज किया जावे। प्रतिदावाः रोही गांव भामासी तहसील चूरू में प्रतिवादीगण सं. 5 से 10 के पूर्वज मगनाराम पुत्र सुरजाराम एवं वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के पूर्वज किशनाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गांव भामासी तहसील चूरू के नाम से खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 38 तादादी 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 89 तादादी 2 बीघा, खसरा संख्या 234 तादादी 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 237 तादादी 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 238 तादादी 10 बीघा 16 बिस्वा कुल खेत 5 कुल रकबा 35.05 बीघा के दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार थे ओर दोनों भाईयों ने अपनी—अपनी सुविधा के अनुसार आपसी सहमति से अपने—अपने हिस्सों के अनुसार इस भूमि का व्यवहारिक बंटवारा अपने जीवनकाल में ही कर लिया था ओर दोनों अलग—अलग ही काश्त करते थे। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के पूर्वज किशनाराम पुत्र सुरजाराम ने उपरोक्त कुल कृषि भूमि में से अपने हिस्से की 1/2 हिस्सा भूमि में से ख. न. 38 तादादी 8.11 बीघा भूमि रोही गावं भामासी को उस समय प्रचलित कीमत रूपये 25000 हम प्रतिवादीगण से नगद प्राप्त कर जरिये इकरारनामा दिनांक 08.09.1994 को विक्रय कर इस भूमि के मालिक हम प्रतिवादीगण को मानकर इकरारनामा लिखवाकर दो मौजीज व्यक्तियों की साख के हस्ताक्षर एवं अंगुठे कर प्रतिफल की कुल राशि प्राप्त कर चूरू के नोटेरी पब्लिक श्री अब्दुल मजीद निजामी एडवोकेट से प्रमाणित करवाकर हम प्रतिवादीगण को सौंप दिया था तब से लेकर लगातार इस कृषि भूमि को हम प्रतिवादीगण काश्त करते है और हमारे ही कब्जे में है। इकरारनामा जो वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पूर्वज किशनाराम ने हम प्रतिवादीगण के पक्ष में दिनांक 08.09.1994 को तहरीर तकमील एवं तस्दीक करवाकर प्रतिफल की राशि प्राप्त करली स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर कर हम प्रतिवादीगण को सौंप कर मालिक बना दिया [illegible] इस इकरारनामा दिनांक 08.09. 1994 की रूह में हम प्रतिवादी[illegible]38 तादादी 8.11 बीघा रोही गांव भामासी तहसील चूरू के बहिस्सा बराबर [illegible] काश्तकार हो चुके है और इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

प्रकार की घोषणा न्यायायल के माध्यम से करवाने के हम प्रतिवादीगण अधिकारी हैं। इस प्रतिदावा का कारण हम प्रतिवादीगण को वादी के द्वारा उपरोक्त दावा में भिजवाये गये सम्मनों की तारीख पेशी दिनांक 15.04.2010 को प्राप्त होने पर वादी को कहा गया जिसने हम प्रतिवादीगण की बात मानने से इन्कार कर दिया इसलिये यह प्रतिदावा का कारण है ओर इस प्रतिदावा का आधार हम प्रतिवादीगणके पक्ष में स्व. किशनराम के द्वारा लिखे गये इकरारनामा दिनांक 08.09.1994 से हर समय हासिल है। पक्षकारान मुकदमा एवं वादगत कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है इसलिये इस प्रतिदावा के श्रवणाधिकार इस न्यायालय को है जो नियत सुदा न्याय शुल्क पर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है। अतः जवाब दावा मय प्रतिदावा पेशकर निवेदन है कि वादी का यह दावा मय खर्चा खारिज किया जाकर हम प्रतिवादीगण सं. 5 से 10 का प्रतिदावा नीचे लिखे अनुसार डिक्री किया जावे। घोषित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि में से कृषि भूमि ख.न. 38 तादादी 8.11 बीघा रोही गांव भामासी तहसील चूरू बरूवे इकरारनामा दिनांक 08.09.1994 जो वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के पूर्वज किशनाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भामासी ने समस्त प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय कर कब्जा हम प्रतिवादीगण को सौंप दिया था इसलिये प्रतिवादीगण सं. 5 से 10 इस कृषि भूमि में खातेदार मालिक एवं काबिज काश्तकार है ओर अपना नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत चला आ रहा है जिसको दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादी संख्या जवाब दावा पेश किया गया जिसमें मुझ प्रतिवादी 11 के हक में 21.02.07 को प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम द्वारा अपने 1/10 हिस्सा भूमि का बैनामा करवाया जाना सही लिखा है कि जो बैनामा में मात्र 1/10 हिस्सा बेचना व कब्जा देना लिखा है किसी तरह विभाजन किया हुआ नहीं लिखा फलस्वरूप 1/10 हिस्सा बेचकर कराया गया बेनामा 21.02.07 कानूनन वैध है व अपने अधिकारों सहित 1/10 हिस्सा का ही बेचकर बैनामा करवाया जाते हुए 1/10 हिस्सा का कब्जा प्रतिवादी सं. 1 अर्जुनराम द्वारा मुझ प्रतिवादी 11 विवेक को कब्जा देकर बैनामा मेरे हक में राशि में राशि लेकर करवाया गया है औरे बेचने वाले अर्जुनराम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की जगह मुक्त क्रेता विवेक प्रतिवादी सं. 11 का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित हो गया और अन्य हिस्सेदारान के साथ में 1/10 हिस्सा का मालिक, काबिज व अधिकारी प्रतिवादी सं. 1 अर्जुनराम की जगह हो गया हूं। दावा की पैरा सं. 7 में बैनामा दिनांक 21.02.07 के ज्ञान बाबत वादी ने गलत तिथि व गलत कथन मेरे द्वारा कहे को इन्कार करता हूं। जिस दिन बैनामा करवाया व उसी दिन कब्जा स्थल पर जो बेचने वाले प्रतिवादी सं. 1 अर्जुनराम का था उस पर कब्जा देने के समय हीवादी वहां मौजूद रहा और उसे उसी दिन से ज्ञान रहा है। विभाजन कराने की बात पर मैने स्पष्ट कह दिया था कि जो कब्जा अर्जुनराम का रहा वह मेरे को मिला और विभाजन कराने में सहमत हूं मैनें इन्कार नहीं किया मगर गलत रूप से गलत कथन लिखे है जो स्वीकार नहीं है। इन भूमियों का विभाजन व मेरे द्वारा क्रय भूमि का विभाजन कर दिया जावे तो मेरे को आपत्ति नहीं है। दावा की पैरा संख्या 10 में पक्षकारान के निवास स्थान, वादगत भूमि के स्थित होने के स्थान सही है मगर बैनामा निरस्त कराने का है वह इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं सि[illegible] को ही यह अधिकार होने से इस न्यायालय को यह दावा श्र[illegible]त्राधिकार बाद हासिल न होने से दावा काबिले निरस्त [illegible] कथन बैनामा 21.02.07 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

द्वारा प्रतिवादी सं. 1 अर्जुनराम अपने 1/10 हिस्सा भूमि में से ही 3 बीघा भूमि मुझ प्रतिवादी 11 विवेक को बेचकर कब्जा व अधिकार दिया कि जो मेरे नाम अभिलेख में दर्ज हो गई इस तरह अपने 1/10 हिस्सा भूमि में से 3 बीघा साधिकार, कब्जा की वैध तरीके से बेचकर कब्जा सम्भलाया जाने से बैनामा निरस्त कानूनन नहीं किया जा सकता और अन्य सहखातेदारान के साथ खरीदकर भूमि हिस्सा का मेरे नाम खातेदारी दर्ज हुई व होने का अधिकार रखता हूं व बैनामा वैध सही है। वैध रूप से साधिकार व अपने 1/10 हिस्सों की भूमि में से 3 बीघा भूमि का किया गया बैनामा 21.02.07 कानूनन सही है और उसे निरस्त कराने के लिये यह न्यायालय सक्षम ना होकर सिविल न्यायालय ही सक्षम होने से निरस्त कराने का दावा गलत होने से निरस्तनीय है। मेरे को जो 1/10 हिस्सा भूमि में से बेची गई व कब्जा दिया उसका विभाजन मेरा अलग कर दिया जावे तो मैं सहमत ही चला आया व हूं और वादी को ज्ञान 21.02.07 से ही ऊपर लिखे अनुसार हैं वादी द्वारा गलत कथन के आधार गलत दावा लाया जाने से वो निरस्तनीय है। अतः उपरोक्तानुसार यह जवाब मुझ प्रतिवादी संख्या विवेक की ओर से शपथ–पत्र के साथ पेश कर निवेदन है कि स्वीकार किया जाते हुवे दावा वादी सव्यय खारिज कर हर्जा व खर्चा मेरे को दिलाया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 से 10 की ओर से रणजीत ने साक्ष्य प्रतिवादी साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया जावे शामिल मिसल किया गया।

12. दिनांक 04.03.2021 को वादी एवं वकील वादी को न्यायालय समय में बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहे। अतः दावा वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है। दावा में प्रतिवादी सं. 5 से 10 की ओर से काउन्टर क्लेम पेश किया गया है इसलिए प्रतिवादी सं. 5 से 10 के काउण्टर क्लेम में कार्यवाही जारी रहेगी। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 से 10 की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी रणजीत ने साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया जावे जिसमें मेरे दादा स्व. सुरजाराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 38, 89, 234, 237, 238 तादादी क्रमशः 8 बीघा 11 बिस्वा, 2 बीघा, 3 बीघा 8 बिस्वा, 10 बीघा 10 बिस्वा, 10 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 5 कुल तादादी 35 बीघा 5 बिस्वा वाके रोही भामासी तहसील चूरू में अवस्थित चली आ रही है उक्त कृषि भूमि किशनाराम व मगनाराम उर्फ मगनीराम पुत्रगण स्व. सुरजाराम को ब.हिस्सा बराबर–बराबर संयुक्त रूप से विरासतन प्राप्त हो गई। किशनाराम व मगनाराम उर्फ मगनीराम दोनों का देहान्त हो जाने के बाद ऊपरवर्णित भूमि किशनाराम व मगनाराम उर्फ मगनीराम के वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 स 10 के नाम विरासतन नामान्तरण से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। वादी के पिता किशनाराम ने अपने जीवनकाल में अपने 1/2 हिस्सा की भूमि में से भाई बंटवारा के अनुसार अपने हिस्से में आई भूमि में से खसरा संख्या 38 तादादी 08 बीघा 11 बिश्वा कृषि भूमि को जरिये इकरारनामा दिनांक 08.09.1994 के मुझे व मेरी माता श्रीमती भूरी देवी, मेरे भाई राजेन्द्र, गजानन्द उर्फ गजेन्द्र, राकेश, विजेन्द्र उर्फ बृजलाल, धर्मपाल को विक्रय कर तत्समय प्रचलित बाजार भाव से प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली तथा इकरारनामा पर अपने हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी अंकित कर दो साक्षीगणों की मौजूदगी में करके इकरारनमा नोटेरी पब्लिक श्री अब्दुल मजीद निजामी एडवोकेट से तस्दीक करवाकर हमें विक्रय कर दी थी तथा वि[illegible]ण संख्या 5 से 10 का करवा दिया गया था। सम्पूर्ण 35 बीघा 05 बिश्वा[illegible]दी का 1/2 हिस्सा नहीं है क्योंकि वादी के पिता किशनाराम [illegible] की भूमि में से 8 बीघा 11 बिश्वा भूमि हम प्रतिवादीगण [illegible]मा के जरिये विक्रय कर दी थी और

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

कब्जा हमें संभला दिया गया था परन्तु हमारे द्वारा क्रय की गई 08 बीघा 11 बिश्वा भूमि का विरासतन नामान्तरकरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही हो पाया था। जरिये इकरारनामा किशनाराम से खरीद की गई 08 बीघा 11 बिश्वा भूमि खसरा संख्या 38 रोही ग्राम भामासी तहसील चूरू में हम प्रतिवादीगण संख्या 5 से 10 हिस्सा बराबर—बराबर के खातेदार, काश्तकार हो चुके है और इस प्रकार की घोषणा न्यायालय के माध्यम से करवाई जानी आवश्यक हो गई है।

13. अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 ता 10 ने बहस में प्रतिदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया घोषित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि में से कृषि भूमि ख.न. 38 तादादी 8.11 बीघा रोही गांव भामासी तहसील चूरू बरूवे इकरारनामा दिनांक 08.09.1994 जो वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के पूर्वज किशनाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भामासी ने समस्त प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय कर कब्जा हम प्रतिवादीगण को सौंप दिया था इसलिये प्रतिवादीगण सं. 5 से 10 इस कृषि भूमि में खातेदार मालिक एवं काबिज काश्तकार है ओर अपना नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत चला आ रहा है जिसको दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं।

14. यह वाद वादी द्वारा धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत घोषणात्मक डिक्री, स्थायी निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन के लिए प्रस्तुत किया गया। वादी का कथन है कि वादगत कृषि भूमि मूलतः स्व. सुरजाराम की पुश्तैनी खातेदारी भूमि थी। सुरजाराम के दो पुत्र किशनाराम तथा मगनाराम थे, जिनको यह भूमि बराबर हिस्से में विरासत से प्राप्त हुई। दोनों के निधन के पश्चात उनके वारिसान के नाम संयुक्त खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई। कृषि भूमि खसरा संख्या 38, 89, 234, 237, 238 कुल रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा ग्राम भामासी तहसील व जिला चूरू स्थित है। वादी का कथन है कि यह भूमि आज तक संयुक्त खातेदारी में है और इसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।
दिनांक 04.03.2021 को वादी एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण मूल वाद अदम—हाजरी व अदम—पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 5 से 10 द्वारा जवाब के साथ काउंटर—क्लेम प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 विवेक ने भी पृथक से जवाब प्रस्तुत कर यह स्वीकार किया कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम से अविभाजित 1 / 10 हिस्सा क्रय किया है तथा वह विभाजन हेतु सहमत है। चूंकि काउंटर—क्लेम लंबित था, अतः उसी पर विचार किया गया।

प्रतिवादी संख्या 5 से 10 द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 08.09.1994 अपंजीकृत है। प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा दिनांक 21.02.2007 का पंजीकृत विक्रय—पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें केवल अविभाजित 1 / 10 हिस्सा का क्रय दर्शाया गया है। यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत कृषि भूमि का आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इकरारनामा 08.09.1994 अपंजीकृत इकरारनामा से न तो स्वामित्व और न ही खातेदारी अधिकार हस्तांतरित हो सकते हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 5 से 10 का काउंटर—क्लेम इस आधार पर अस्वीकार्य है। रिकॉर्ड एवं पक्षकारों के कथनों से यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है और इसका विधिवत खाता विभाजन नहीं हुआ है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का सम्पूर्ण भूमि पर [illegible] अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में कोई भी सहखातेदार विशिष्ट [illegible] से विक्रय करने का अधिकारी नहीं होता। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा [illegible] संख्या 11 के पक्ष में किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

जवाब के साथ काउंटर—क्लेम प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 विवेक ने भी पृथक से जवाब प्रस्तुत कर यह स्वीकार किया कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम से अविभाजित 1/10 हिस्सा क्रय किया है तथा वह विभाजन हेतु सहमत है। चूंकि काउंटर—क्लेम लंबित था, अतः उसी पर विचार किया गया।

प्रतिवादी संख्या 5 से 10 द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 08.09.1994 अपंजीकृत है। प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा दिनांक 21.02.2007 का पंजीकृत विक्रय—पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें केवल अविभाजित 1/10 हिस्सा का क्रय दर्शाया गया है। यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत कृषि भूमि का आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इकरारनामा 08.09.1994 अपंजीकृत इकरारनामा से न तो स्वामित्व और न ही खातेदारी अधिकार हस्तांतरित हो सकते हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 5 से 10 का काउंटर—क्लेम इस आधार पर अस्वीकार्य है। रिकॉर्ड एवं पक्षकारों के कथनों से यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है और इसका विधिवत खाता विभाजन नहीं हुआ है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का सम्पूर्ण भूमि पर सामूहिक अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में कोई भी सहखातेदार विशिष्ट भाग (Specific Portion) को स्वतंत्र रूप से विक्रय करने का अधिकारी नहीं होता। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र संयुक्त भूमि के विशिष्ट भाग से संबंधित है। यह विक्रय अन्य सहखातेदारों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। अतः न्यायालय की राय में उक्त विक्रय पत्र कानूनन अधिकार के बिना किया गया लेन—देन है। इस प्रकार यह विक्रय पत्र आरंभ से ही शून्य (Void ab initio) है और इससे प्रतिवादी संख्या 11 को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया विक्रय पत्र कानूनन वैध नहीं है। अतः

> दावा वादी अस्वीकार किया जाता है और निम्न आदेश पारित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 5 से 10 द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 08. 09.1994 अपंजीकृत है। यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत कृषि भूमि का आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इकरारनामा 08.09.1994 अपंजीकृत इकरारनामा से न तो स्वामित्व और न ही खातेदारी अधिकार हस्तांतरित हो सकते हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 5 से 10 का काउंटर—क्लेम इस आधार पर अस्वीकार्य है। चूंकिसभी सह काश्तकारों का भूमि के प्रत्येक इंच पर बराबर हिस्सा होता है जब तक कि विधिवत बंटवारा ना हो जाए। हस्तगत प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बिना बंटवारे किये गए हस्तान्तरण शुरू से ही अवैध व शून्य होने के कारण हस्तान्तरणके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में किए गए बदलावों खारिज किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 विवेक के पक्ष में [illegible] 2007 को अवैध, निष्प्रभावी तथा आरंभ से ही शून्य [illegible] जाता है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर [illegible] गई हो तो उसे निरस्त किया [illegible] जाए। स्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 11 वादगत भूमि में वादी के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस आदेश की अनुपालना हेतु संबंधित तहसीलदार चूरू आवश्यक कार्यवाही करेंगे। पक्षकार अपने–अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

इस आदेश की अनुपालना हेतु संबंधित तहसीलदार चूरू आवश्यक कार्यवाही करेंगे। पक्षकार अपने–अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 5.03.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)
उप खण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2007/10 दर्ज दिनांक : 17.03.2007

1. श्रीचन्द पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. भंवरी पुत्री स्व. किशनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. चन्द्रमणी पुत्री स्व. किशनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. रूकमणी पुत्री स्व. किशनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. भूरी देवी पत्नी स्व. मगनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. राजेन्द्र पुत्र स्व. मगनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. गजानन्द पुत्र स्व. मगनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. रणजीत पुत्र स्व. मगनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. राकेश पुत्र स्व. मगनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. विजेन्द्र उर्फ ब्रजलाल मुत्र स्व. मगनाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. विवेक पुत्र नेतानन्द जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री नरेन्द्र सिहाग
प्रतिवादी श्री भागीरथ सिद्ध,
श्री जगदीश कस्वां,
श्री रघुनन्दन सोनी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादी अस्वीकार किया जाता है और निम्न आदेश पारित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 5 से 10 द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 08.09.1994 अपंजीकृत है। यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत कृषि भूमि का आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इकरारनामा 08.09.1994 अपंजीकृत इकरारनामा से न तो स्वामित्व और न ही खातेदारी अधिकार हस्तांतरित हो सकते हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 5 से 10 का काउंटर–क्लेम इस आधार पर अस्वीकार्य है। चूंकिसभी सह काश्तकारों का भूमि के प्रत्येक इंच पर बराबर हिस्सा होता है जब तक कि विधिवत बंटवारा ना हो जाए। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बिना बंटवारे किये गए हस्तान्तरण शुरू से ही अवैध व शून्य होने के कारण हस्तान्तरणके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में किए गए बदलावों खारिज किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 विवेक के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 21.02.2007 को अवैध, निष्प्रभावी तथा आरंभ से ही शून्य घोषित किया जाता है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर यदि राजस्व अभिलेख में कोई प्रविष्टि की गई हो तो उसे निरस्त किया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जाए। स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 11 वादगत भूमि में वादी के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस आदेश की अनुपालना हेतु संबंधित तहसीलदार चूरू आवश्यक कार्यवाही करेंगे। पक्षकार अपने–अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)
उप खण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested